

"सार्वजनिक अधिसूचना"

उत्तर रेलवे के नीचे उल्लिखित खंड के पूर्ण खंड पर स्थित रेलवे लाइनों और परिसर के सभी उपयोगकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि 25000 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, एसी ओवरहेड ट्रैक्शन तारों को खंड के सामने निर्दिष्ट तिथि पर या उसके बाद सक्रिय किया जाएगा। उसी तारीख से ओवरहेड ट्रैक्शन लाइन को हर समय चालू माना जाएगा और कोई भी अनधिकृत व्यक्ति उक्त ओवरहेड लाइन के करीब नहीं आएगा या काम नहीं करेगा।

अनुभाग	दिनांक
उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत पलवल (छोड़कर) स्थान संख्या 1482/12 ए एन (इंजी-सीएच: 1759.87) (सीएच: 1482/409.50) से नई पृथला डब्ल्यूडीएफसी (छोड़कर) स्थान संख्या डीएफसीसीआईएल-204 (इंजी-सीएच: ..12393.95) (सीएच: 1492/849.20) के बीच डोभ, 25 केवी, 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी नव विद्युतीकृत मुख्य लाइन का ऊर्जीकरण, जिसमें पलवल (एनआर) के साथ नए पृथला डब्ल्यूडीएफसी की रेल कनेक्टिविटी के संबंध में पलवल यार्ड और संबंधित टर्न आउट और एक्स-ओवर शामिल हैं।	20.03.2024

25 के.वी. ट्रैक्शन का परिचय

"सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए चेतावनी"

जनता की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि 25 केवी एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की शुरुआत के संबंध में:- "उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत पलवल (छोड़कर) स्थान संख्या 1482/12 ए एन (इंजी-सीएच: 1759.87) (सीएच: 1482/409.50) से नई पृथला डब्ल्यूडीएफसी (छोड़कर) स्थान संख्या डीएफसीसीआईएल-204 (इंजी-सीएच: 12393.95) (सीएच: 1492/849.20) के बीच डोभ, 25 केवी, 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी नव विद्युतीकृत मुख्य लाइन का ऊर्जीकरण, जिसमें पलवल (एनआर) के साथ नए पृथला डब्ल्यूडीएफसी की रेल कनेक्टिविटी के संबंध में पलवल यार्ड और संबंधित टर्न आउट और एक्स-ओवर शामिल हैं।" 4.78 मीटर की स्पष्ट अधिकतम ऊंचाई के साथ सभी लेवल क्रॉसिंगों पर ऊंचाई गेज लगाए गए हैं और संपर्क तार सड़क के स्तर से न्यूनतम 5.5 मीटर की ऊंचाई पर होंगे, ताकि अत्याधिक ऊंचाई वाले भार को संपर्क में आने या लाइव ट्रैक्शन के खतरनाक निकटता से रोका जा सके।

जनता को सूचित किया जाता है कि वे वाहनों को लोड करने के उद्देश्य से ऊपर निर्दिष्ट ऊंचाई का पालन करें और यह देखें कि सड़क वाहनों में ले जाया गया भार किसी भी परिस्थिति में ऊंचाई गेज का उल्लंघन नहीं करता है।

अत्यधिक ऊंचाई के भार के खतरे इस प्रकार हैं :

- ऊंचाई गेज के लिए खतरा और परिणामस्वरूप सड़क के साथ-साथ रेलवे लाइन में रुकावट।
- ले जाई गई सामग्री या उपकरण या स्वयं वाहन को खतरा।
- कंडक्टरों के संपर्क या खतरनाक निकटता के कारण आग का खतरा और जीवन का जोखिम।

उप. मुख्य विद्युत अभियन्ता/निर्माण,

उत्तर रेलवे, चौथी मंजिल,

डीआरएम कार्यालय, नई दिल्ली